<u>अति–आवश्यक</u>

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 149 दिनांकः– 18/03/2024

निदेशक, क0रा0बी0 योजना,
विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल,
समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक / राजकीय मेडीकल कॉलेज / राजमेस / एसआरजी, झालावाड / आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिकों के संबंध में।

संदर्भः– निदेशालय के पत्रांक 08 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 11 के द्वारा स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे कार्मिकों के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए निदेशालय को सूचना भिजवाये जाने हेतु लिखा गया था।

प्रायः यह देखने में आया है कि आप द्वारा कार्मिक के स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के संबंध में तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कार्मिक के सेवानिवृति / नाम विलोपन के समय कार्मिक के अनुपस्थित अवधि का अवकाश स्वीकृति अथवा नियमानुसार कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जाते है। साथ ही शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के परिपत्र दिनांक 13.10.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के पश्चात भी 01 वर्ष से कम अनुपस्थित रहे कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवाया जाता है।

अतः 01 वर्ष से कम स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे कार्मिक को कार्यग्रहण करवाते हुए नियमानुसार प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि वित्त विभाग के नोटिफिकेश क्रमांक एफ.1(4)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 12.01.2017 के अनुसार यदि कोई कार्मिक 01 वर्ष से अधिक अवधि में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है तो Deemed to

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.17 14:03:01 IST
Reason: Approved

have resigned" माने जाने का प्रावधान है। अतः 01 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित के संबंध में कार्मिक को राज्य सेवा में पुनः कार्यग्रहण कराने के प्रस्ताव मात्र ही निदेशालय को भिजवाया जाएँ, संबंधित कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु नहीं भिजवाया जाए। राज्य सरकार द्वारा संबंधित कार्मिक के कम में कार्यग्रहण कराने की अनुमति दिये जाने पर आपको तद्नुसर निर्णय से अवगत करवा दिया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–अराज0 / सामान्य / टी.सी. / 2024 / 149 दिनांकः– 18/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए सभी संबंधित को ई–मेल भी करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6121421

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.17 14:03:01 IST
Reason: Approved